**राजस्थान सरकार**
**ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग**
**(ग्रामीण विकास अनुभाग–1)**

क्रमांकः एफ 2(3)ग्रावि / ग्रुप–1 / 2006 जयपुर, दिनांकः 14 JAN 2016

**–:आदेश:–**

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 28.10.2015 द्वारा श्री एस.पी.माथुर, अधिशाषी अभियन्ता (अभियात्रिकी), जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), बाडमेर को एक माह के लिए जिला परिषद, जैसलमेर में अधिशाषी अभियन्ता(अभियांत्रिकी) एवं (ईजीएस), जिला परिषद, जैसलमेर का कार्य सम्पादन करने हेतु आदेशित किया गया था तथा आदेश दिनांक 09.12.2015 द्वारा अग्रिम आदेश तक जिला परिषद, जैसलमेर में कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया था ।

जिला परिषदों में अधिशाषी अभियन्ता(अभियांत्रिकी / महात्मा गांधी नरेगा)के रिक्त पदों पर सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्रतिनियुक्ति पर आये अधिशाषी अभियन्ताओं के पदस्थापन की कार्यवाही की जा रही है ।

अतः जिला परिषद, बाडमेर में बी.ए.डी.पी. के कार्यो की अधिकता एवं वीडिओ कान्फ्रेन्स में दिए गए निर्देशानुसार उक्त आदेशों को निरस्त करते हुए श्री एस.पी.माथुर को जिला परिषद(ग्रा.वि.प्र.), जैसलमेर में अधिशाषी अभियन्ता(अभियांत्रिकी) के पद का ही कार्य करने हेतु तत्काल प्रभाव से आदेशित किया जाता है । श्री बाबू लाल सेठिया पूर्ववत अधिशाषी अभियन्ता(महात्मा गांधी नरेगा) का कार्यभार सम्पादित करते रहेंगे ।

**(राजीव सिंह ठाकुर)**
**शासन सचिव**

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि. एवं पं. राज. विभाग राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रा.वि. विभाग राज., जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त (महात्मा गांधी नरेगा), ग्रा.वि. विभाग राज., जयपुर।
5. जिला कलक्टर, बाडमेर को प्रेषित कर लेख है कि कृपया आपके आदेश संख्या जिपबां / निसप्र / 2015 / 5345–58 दिनांक 09.12.2015 को निरस्त करे ।
6. जिला कलक्टर, जैसलमेर ।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बाडमेर / जैसलमेर ।
8. श्री एस.पी.माथुर, अधिशाषी अभियन्ता(अभि.), जिला परिषद, बाडमेर को पालनार्थ ।
9. श्री बाबूलाल सेठिया, अधिशाषी अभियंता (महात्मा गांधी नरेगा) जिला परिषद, बाड़मेर।
10. प्रोग्रामर, ग्रा.वि. राज0 जयपुर को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।

**संयुक्त शासन सचिव(प्रशासन)**